

मध्यप्रदेश अधिनियम

क्रमांक २३ सन् २०१५

मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता (संशोधन) अधिनियम, २०१५

[दिनांक ३० दिसम्बर, २०१५ को राज्यपाल की अनुमति प्राप्त हुई, अनुमति "मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण)" में दिनांक ३१ दिसम्बर, २०१५ को प्रथम बार प्रकाशित की गई.]

मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता, १९५९ को और संशोधित करने हेतु अधिनियम.

भारत गणराज्य के छियासठवें वर्ष में मध्यप्रदेश विधान-मंडल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :-

१. इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता (संशोधन) अधिनियम, २०१५ है.
२. मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता, १९५९ (क्रमांक २० सन् १९५९) (जो इसमें इसके पश्चात् मूल अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट है) की धारा ५० में,—

संक्षिप्त नाम.

धारा ५० का संशोधन.

(एक) उपधारा (१) के स्थान पर, निम्नलिखित उपधारा स्थापित की जाए, अर्थात् :-

“(१) मण्डल, किसी भी समय स्वप्रेरणा से या किसी पक्षकार द्वारा आवेदन दिए जाने पर या आयुक्त या बंदोबस्त आयुक्त या कलक्टर या बन्दोबस्त अधिकारी किसी भी समय स्वप्रेरणा से, किसी ऐसे मामले का, जो विनिश्चित किया जा चुका हो या किन्हीं ऐसी कार्यवाहियों का, जिनमें उसके या उनके अधीनस्थ किसी राजस्व अधिकारी द्वारा कोई आदेश पारित किया जा चुका हो और जिसमें उनको कोई अपील न होती हो, अभिलेख मंगा सकेगा और यदि यह प्रतीत होता हो कि ऐसे अधीनस्थ राजस्व अधिकारी,—

- (क) ने ऐसी अधिकारिता का प्रयोग किया है जो इस संहिता द्वारा उसमें निहित न की गई हो, या
- (ख) इस प्रकार निहित की गई अधिकारिता का प्रयोग करने में असफल रहा है, या
- (ग) ने अपनी अधिकारिता का अविधिपूर्ण या सारवान अनियमितता के साथ प्रयोग किया है,

तो, यथास्थिति, मण्डल या आयुक्त या बंदोबस्त आयुक्त या कलक्टर या बंदोबस्त अधिकारी, मामले में ऐसा आदेश कर सकेगा जैसा वह उचित समझे :

परन्तु मण्डल या आयुक्त या बंदोबस्त आयुक्त या कलक्टर या बंदोबस्त अधिकारी, इस धारा के अधीन, किए गए किसी आदेश में या कार्यवाही के अनुक्रम में किसी विवादक का विनिश्चय करने वाले किसी आदेश में फेरफार नहीं करेगा या उसे नहीं उलटेगा, सिवाय जहां कि—

(क) ऐसा आदेश, यदि वह मण्डल को पुनरीक्षण का आवेदन करने वाले पक्षकार के पक्ष में किया गया हो, कार्यवाहियों का अन्तिम रूप से निपटारा करता हो, या

(ख) ऐसा आदेश, यदि वह प्रवृत्त बना रहता है, तो न्याय की विफलता या उस पक्षकार को, जिसके विरुद्ध यह किया गया था, अपूरणीय क्षति कारित करेगा.”;

(दो) उपधारा (२) तथा (३) में, शब्द "या कलक्टर या बंदोबस्त अधिकारी" जहां कहीं भी वे आए हों, के स्थान पर शब्द "या आयुक्त या बंदोबस्त आयुक्त या कलक्टर या बंदोबस्त अधिकारी" स्थापित किए जाएं; तथा

(तीन) उपधारा (६) के स्थान पर, निम्नलिखित उपधारा स्थापित की जाए, अर्थात् :-

"(६) उपधारा (१) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी,—

(एक) जहां उपधारा (१) के अधीन किसी ऐसे मामले के संबंध में कार्यवाहियां मण्डल द्वारा प्रारम्भ की गई हों, वहां आयुक्त या बंदोबस्त आयुक्त या कलक्टर या बंदोबस्त अधिकारी द्वारा उसके संबंध में कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी;

(दो) जहां उपधारा (१) के अधीन किसी ऐसे मामले के संबंध में कार्यवाहियां आयुक्त या बंदोबस्त आयुक्त द्वारा प्रारम्भ की गई हों, वहां कलक्टर या बंदोबस्त अधिकारी द्वारा उसके सम्बन्ध में कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी;

(तीन) जहां उपधारा (१) के अधीन किसी ऐसे मामले के संबंध में कार्यवाहियां आयुक्त या बंदोबस्त आयुक्त या कलक्टर या बंदोबस्त अधिकारी द्वारा प्रारंभ की गई हों तो मण्डल, यथास्थिति, आयुक्त या बंदोबस्त आयुक्त या कलक्टर या बंदोबस्त अधिकारी द्वारा ऐसी कार्यवाहियों के अंतिम निपटारे तक ऐसे मामले के संबंध में इस धारा के अधीन या तो कोई कार्रवाई करने से विरत रह सकेगा या ऐसी कार्यवाहियों को वापस ले सकेगा और ऐसा आदेश पारित कर सकेगा जैसा कि वह उचित समझे;

(चार) जहां उपधारा (१) के अधीन किसी ऐसे मामले के संबंध में कार्यवाहियां कलक्टर अथवा बंदोबस्त अधिकारी द्वारा प्रारम्भ की गई हों तो मण्डल या आयुक्त या बंदोबस्त आयुक्त, यथास्थिति, कलक्टर अथवा बंदोबस्त अधिकारी द्वारा ऐसी कार्यवाहियों के अंतिम निपटारे तक, ऐसे मामले के संबंध में इस धारा के अधीन या तो कोई कार्रवाई करने से विरत रह सकेगा अथवा ऐसी कार्यवाहियों को वापस ले सकेगा और ऐसा आदेश पारित कर सकेगा जैसा कि वह उचित समझे."

धारा १६२ का संशोधन.

३. मूल अधिनियम की धारा १६२ में, उपधारा (१) के स्थान पर, निम्नलिखित उपधारा स्थापित की जाए, अर्थात् :-

"(१) धारा २४८ में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी तथा इस निमित्त बनाए गए नियमों के अधीन रहते हुए, ऐसे क्षेत्रों में, जो कि राज्य सरकार द्वारा राजपत्र में अधिसूचित किए जाएं, राज्य सरकार की किसी भूमि का जो कि अनधिकृत कब्जे में हो, कलक्टर द्वारा उस सीमा तक तथा ऐसी राशि का भुगतान कर दिए जाने पर जैसी कि विहित की जाए, कृषिक प्रयोजनों के लिए भूमिस्वामी अधिकारों में और अकृषिक प्रयोजनों के लिए सरकारी पट्टेधारी हक में व्ययन किया जा सकेगा."

धारा १६६ का संशोधन.

४. मूल अधिनियम की धारा १६६ में, उपधारा (३) में, शब्द, कोष्ठक तथा अंक "तथा (२)" का लोप किया जाए.

धारा २४७ का संशोधन.

५. मूल अधिनियम की धारा २४७ में, उपधारा (४) में, शब्द, अंक तथा कोष्ठक "भूमि अर्जन अधिनियम, १८९४ (१८९४ का १)" के स्थान पर, शब्द, अंक तथा कोष्ठक "भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, २०१३ (२०१३ का ३०)" स्थापित किए जाएं.

निरसन तथा व्यावृत्ति.

६. (१) मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता (द्वितीय संशोधन) अध्यादेश, २०१५ (क्रमांक ५ सन् २०१५) एतद्वारा निरसित किया जाता है.

(२) उक्त अध्यादेश के निरसन के होते हुए भी, उक्त अध्यादेश के अधीन की गई कोई बात या की गई कोई कार्रवाई, इस अधिनियम के तत्स्थानी उपबंधों के अधीन की गई बात या की गई कार्रवाई समझी जाएगी.